न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस. द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः– 16 / 2025

प्रविष्टि दिनांकः– 15.04.2025

सरकार जरिये तहसीलदार देवली, तहसील देवली जिला टोंक

.... अपीलाण्ट

बनाम

1–प्रेमलता पत्नी रामेश्वरलाल जाति रेगर निवासी बी–476, महेश नगर जयपुर जिला जयपुर राज.

2–सूरजमल पुत्र मांग्या जाति बैरवा निवासी पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राज.

3–बालूराम पुत्र मांग्या जाति बैरवा निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज.

4–दियाल पुत्र मांग्या जाति बैरवा निवासी पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राज.

5–लाड़ा पुत्री मांग्या जाति बैरवा निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज.

6–~~सरजू पत्नी मांग्या जाति बैरवा निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज.~~ (मृतक)

7–परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.12 जिला टोंक राज.

.... रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1327 दिनांक 22.09.2011

उपस्थितः(1) श्री मजहर आलम, राजकीय पेरोकार
(2) श्री सरवर अली खान, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं. 1
(3) श्री रोशन लाल बैरवा, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं. 7

निर्णय दिनांकः– 10/10/25

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पनवाड की जमाबंदी संवत् 2067–2070 में कृषि भूमि खाता संख्या 281 में खसरा नम्बर 312/3558 रकबा 0.51 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम खातेदार प्रेमलता पत्नी रामेश्वरलाल परसोया जाति रेगर निवासी जयपुर के नाम एवं खाता संख्या 702 में खसरा नम्बर 312 रकबा 1.00 हैक्टेयर भूमि खातेदार सूरजमल, बालूराम, दियाल पुत्र मांग्या व लाडा पुत्री मांग्या, सरजू बेवा मांग्या कौम बैरवा निवासी पनवाड के नाम दर्ज रिकार्ड थी।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के 4/6 लेन निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति प्रक्रिया के तहत कार्यालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक का ऐवार्ड प्रकरण संख्या 2298/2009 दिनांक 25.06.2010 से सूरजमल, बालूराम, दियाल पुत्र मांग्या व लाड़ा पुत्री मांग्या, सरजू बेवा मांग्या कौम बैरवा निवासी पनवाड (खातेदार/ हितधिकारी) की खसरा नम्बर 312 रकबा 0.56 है. किस्म बारानी प्रथम भूमि वाके

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

पनवाड़ पटवार हल्का पनवाड तहसील देवली जिला टोंक में स्थित थी, को अवाप्त की
थी।

उक्त ऐवार्ड प्रकरण संख्या 2298/2009 से नामान्तकरण संख्या 1327 दिनाक
9.2011 भरा गया जिससे खसरा नम्बर 312/3558 रकबा 0.51 है किस्म गै.मु.सड़क व
ा नम्बर 312 कुल रकबा 1.00है. किस्म बारानी प्र.थम में से खसरा नम्बर 4013/312
ा 0.05है. किस्म गै.मु. सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम दर्ज रिकार्ड की गई जो
मुताबिक ऐवार्ड के प्रविष्टियां नही है। अतः यह नामान्तरकरण ऐवार्ड के मुताबिक नहीं
ा जाने से विधिविरूद्ध होकर निरस्त योग्य है। ऐवार्ड से खसरा नम्बर 312 रकबा 0.56
यर भूमि अवाप्त की गई थी जो ही भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम दर्ज की
ी चाहिए थी। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि नामान्तकरण संख्या 1327 दिनाक
09.2011 को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 प्रस्तुत कर
न किया गया है कि प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 1327 दिनांक 22.09.2011 का है।
ीलान्ट को उपरोक्त नामान्तकरण या कब्जा संबंधी कोई भी विवाद बाबत् कोई जानकारी
ी आई थी। हाल ही में श्रीमान् अतिरिक्त कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति टोंक
पत्रांक रारामा–12/भू.अ.वा./2025/30 दिनांक 24.02.2025 प्राप्त होने पर उपरोक्त
मान्तकरण संख्या 1327 दिनांक 22.09.2011 को निरस्त करवाने हेतु यह अपील पेश की जा
ी है जिसमें अपीलान्ट की ओर से कोई विलम्ब नहीं किया गया है।

प्रस्तुत अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कण्डाने करने हेतु अविलम्ब यह
र्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मय शपथ पत्र पेश कर
वेदन है कि उक्त अपील में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया और रेस्पोडेण्टस की तलबी जरिये सम्मन की
ई। रेस्पोडेण्ट सं. 01 व 7 जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए जबकि रेस्पोडेण्ट सं. 2,4 व 5 की
यक्तिगत उपस्थिति रही। रेस्पोडेण्ट सं. 6 सरजू पत्नी मांग्या जाति बैरवा निवासी पनवाड़
तहसील देवली तहसील देवली जिला टोंक की मृत्यु हो जाने एवं मृतक सरजू देवी के समस्त
विधिक वारिसान पूर्व में ही प्रकरण में पक्षकार होने से इनका नाम अपील से विलोपित किया
गया।

उपस्थित रेस्पोडेण्टस सं. 2, 4 एवं 5 द्वारा अवगत कराया गया कि रेस्पोडेण्ट सं.
03 बालूराम पुत्र मांगया रेस्पोडेण्ट सं. 2, 4 व 5 का सगा भाई है जो करीब 15 वर्षों से
लापता है तथा उसके जीवित होने की कोई जानकारी नहीं है। बालूराम का विवाह ग्राम बाहरो
पोल्या तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा में हुआ था। उसकी पत्नी बालूराम के जीवन काल
में ही नाता विवाह कर अन्यत्र चली गई थी। बालूराम के कोई संतान नहीं है।

इसके संबंध में तहसीलदार देवली से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार देवली की
रिपोर्ट कमांक 4761 दिनांक 01.10.2025 पत्रावली में संलग्न है। तहसीलदार की रिपोर्ट से
उक्त कथनों की पुष्टि होती है।

इस प्रकार रेस्पोडेन्टस सं. 2, 4 व 5 के कथन एवं तहसीलदार देवली की
रिपोर्ट दिनांक 01.10.2025 से यह साबित है कि रेस्पोडेण्ट सं. 3 बालूराम गत करीब 15 वर्षों
से लापता है और उसके जीवित होने के बारे में गत 15 वर्षों में कुछ भी नहीं सुना गया है।
इसके संबंध में धारा 111 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का उल्लेख किया जाना प्रासंगिक
है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 111 के प्रावधान इस प्रकार है–

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

hen the question is whether a man is alive or dead and it is proved that he has
en not heard of for seven years by those who would naturally have heard of
n if he had been alive, the burden of proving that he is alive is shifted to the
no affirms it."

प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेण्ट सं. 3 बालूराम के सगे भाई बहनों द्वारा बालूराम के गत वर्षों से लापता होने एवं उसके जीवित होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं होने का कथन या गया है तथा अन्य पक्षकारों द्वारा इसका खण्डन नहीं किया गया है। अत धारा 111 रतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत रेस्पोडेण्ट सं. 3 बालूराम पुत्र मागया ति बैरवा निवासी पनवाड तहसील देवली का वर्तमान में "जीवित नही होने" की अवधारणा या जाना न्यायोचित है। चूंकि रेस्पोडेण्ट सं. 2, 4 व 5 के कथन एवं तहसीलदार देवली की पोर्ट दिनांक 01.10.2025 के अवलोकन से बालूराम की पत्नी का उसके जीवनकाल में ही न्यत्र नाते जाना व बालूराम के कोई संतान नहीं होना साबित है तथा बालूराम के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 111 के तहत जीवित नहीं होने की अवधारणा की ई है जिसका किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। अतः रेस्पोडेण्ट सं. 3 बालूराम का नाम अपील के पक्षकार से विलोपित किया जाता है।

बहस के दौरान विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा अपील के कथनों को दोहराया गया तथा रिकॉर्ड के आधार पर अपील के तथ्य साबित होने का कथन करते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं. 1 द्वारा कथन किया गया कि रेस्पोडेण्ट सं. 1 की खातेदारी भूमि का प्रश्नगत नामान्तरकरण गलत रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम दर्ज किया गया है। अवार्ड में रेस्पोडेण्ट सं. 1 की भूमि अवाप्त नहीं की गई है। रेस्पोडेण्ट सं. 1 को भुगतान किये गये मुआवजा राशि को पुनः अवाप्ति अधिकारी को लौटाने हेतु रेस्पोडेण्ट सं. 1 द्वारा अनेक बार भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण कार्यालय एवं सम्बन्धित बैंक में सम्पर्क कर प्रार्थना पत्र दिये गये है किन्तु न तो मुआवजा राशि वापस की गई है और न ही रेस्पोडेण्ट सं. 1 की भूमि वापस उसके खाते में दर्ज की गई। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं. 1 द्वारा दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. सं. 7 द्वारा कथन किया गया कि प्रश्नगत राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु भूमि अवाप्ति एवं नामान्तरकरण की कार्यवाही राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अवार्ड अनुसार राशि अवाप्ति अधिकारी के बैंक खाते में दर्ज कराई गयी है।

अवार्ड के विपरित राशि भुगतान एवं नामान्तरकरण में कोई गलती हुई है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अपने समस्त वित्तीय दायित्वों का निर्वहन कर चुकी है।

यदि प्रश्नगत अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पनवाड के खसरा नं. 312/3558 रकबा 0.51 हैक्टेयर से संबंधित नामान्तरकरण सं. 1327 को निरस्त कर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नाम विलोपित किया जाता है तो इससे पूर्व खसरा नं. 312 रकबा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

1 हैक्टेयर जो कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कब्जे में है, को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम दर्ज किया जावें।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम के सम्बन्ध में उभयपक्ष को आपत्ति नहीं होने एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य न्यायसंगत होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है तथा अपील में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12 के किलोमीटर 52/481 से 157/500 तक के खण्ड जयपुर--टोंक-देवली के 4/6 लेन निर्माण हेतु सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक) द्वारा अवार्ड प्रकरण सं. 2298/2009 से अवाप्तशुदा भूमि ग्राम पनवाड़ की खसरा नं. 312 रकबा 1.00 हैक्टेयर में से 0.56 हैक्टेयर किरानी प्रथम का खातेदार सूरजमल, बालूराम, दियाल पुत्रगण, लाडा पुत्री, सरजू बैवा मांग्या राम बैरवा सा. देह खातेदार के नाम अवार्ड राशि 598321/- रूपये अक्षरे पांच लाख अठानवे हजार तीन सौ इक्कीस रूपये का जारी किया गया । प्रकरण में ग्राम पनवाड के खसरा नं. 312/3558 रकबा 0.51 हैक्टेयर भूमि अवाप्त होना नहीं पाया गया है किन्तु अवार्ड आदेश के बाहर जाकर रेस्पोडेण्ट सं. 1 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 312/3558 रकबा 0.51 हैक्टेयर का नामान्तरकरण सं. 1327 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में स्वीकृत कर उक्त भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के खाते में दर्ज कर दी गई जबकि अवार्ड अनुसार खसरा नं. 312 रकबा 1.00 हैक्टेयर में से 0.56 हैक्टेयर भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम दर्ज की जानी थी। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट सं. 1 प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 312/3558 रकबा 0.51 हैक्टेयर अपनी खातेदारी में पुनः दर्ज कराने का हकदार है।

जहां तक रेस्पोडेण्ट सं. 1 को मुआवजे के भुगतान का प्रश्न है, रेस्पोडेण्ट सं. 1 द्वारा अपनी भूमि अवाप्त होना मानकर ही मुआवजा राशि स्वीकार की गई थी। जब रेस्पो. सं. 1 को ज्ञात हुआ कि उसकी भूमि अवाप्त ही नहीं हुई और त्रुटिवश उसकी भूमि का नामान्तरकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में किया गया हैं तो रेस्पोडेण्ट सं. 1 द्वारा मुआवजा राशि वापस जमा कराने का भी प्रयास किया गया था जो पत्रावली के अवलोकन से साबित है। भूमि अवाप्ति प्राधिकारी की ओर से भी उसे मुआवजा राशि वापस जमा कराने हेतु निर्देश पत्र जारी किया गया था।

इस प्रकरण में रेस्पोडेण्ट सं. 1 के पक्ष पर कोई त्रुटि नहीं है अतः रेस्पोडेण्ट सं. 1 की भूमि खसरा नं. 312/3558 रकबा 0.51 हैक्टेयर पुनः उसके खातेदारी में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

जहां तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हितों का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा अवार्ड अनुसार अवाप्त भूमि खसरा नं. 312 रकबा 1.00 हैक्टेयर में से 0.56 हैक्टेयर भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कब्जे में होकर फूलदार वृक्ष लगे हुए हैं। अतः अवार्ड अनुसार खसरा नं. 312 रकबा 1.00 हैक्टेयर में से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कब्जे वाली 0.51 हैक्टेयर भूमि का नामान्तरकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में किया जाना न्यायोचित है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

जहां तक खसरा नं. 312 के खातेदारों के हितों का प्रश्न है, जो राशि त्रुटिवश रेस्पो. सं. 1 को दी गई थी, वह राशि रेस्पो. सं. 2, 4 व 5 को भुगतान किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार योग्य है, अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1327 दिनांक 22.09.2011 को निरस्त किया जाता है तथा अपीलांट तहसीलदार देवली को अवार्ड अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 10/10/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
अति.जिला कलेक्टर,
टोंक